

कार्य सत्र (फील्ड सीजन) 2010-11 के लिए संरक्षित क्षेत्रों के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में
अन्वेषण/उत्खनन करने के लिए आवेदन-पत्र

1. आवेदक का नाम तथा पता
(यदि किसी संस्था की ओर से आवेदन
किया है तो उसका नाम दिया जाना चाहिए)
2. स्थल का नाम
स्थान :
जिला :
राज्य :
रेखांश : लक्षांश :
3. पूर्व अध्ययनों का ब्यौरा, यदि कोई है
4. पूर्व या प्रारम्भिक अध्ययनों का मूल्यांकन
5. परियोजना विवरण तथा उद्देश्य
6. प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति तथा
कार्य पर लगाई जाने वाली तकनीकें
7. क्या स्थल केन्द्रीय संरक्षित/राज्य
संरक्षित या असंरक्षित है ।
(केन्द्रीय संरक्षित स्थलों के अतिरिक्त
अन्य स्थलों के लिए प्रस्ताव संबंधित
राज्य सरकारों के माध्यम से आने चाहिए)
8. प्रस्तावित उत्खनन या कार्य की सीमा
(प्रस्तावित उत्खनन या कार्य की सीमा
को लाल रंग से सीमांकित करते हुए
स्थल की योजना तीन प्रतियों में संलग्न
की जानी चाहिए)

9. प्रस्तावित अवधि तथा उत्खनन को प्रारम्भ करने की तारीख और परियोजना को पूरा करने के लिए प्रस्तावित समय सारणी
10. लगभग व्यय तथा प्रत्याशित वित्त पोषण
11. प्रस्तावित उत्खनन के निदेशक का नाम तथा हैसियत
12. प्रस्तावित उत्खनन के लिए उपलब्ध वैज्ञानिक उपकरणों का ब्यौरा (सर्वेक्षण, प्रलेखन आदि के लिए)
13. दल के संघटन तथा दल के प्रत्येक सदस्य की योग्यता, जिम्मेदारियों तथा अनुभव का ब्यौरा
14. किसी विशेष वैज्ञानिक संस्था में संग्रहालय तथा अन्य संस्थाओं के साथ सहयोग के प्रबंध, यदि कोई है
15. फील्ड कार्य के बाद विश्लेषण तथा अन्य गतिविधियों की योजनाएं
16. उत्खनित अवशेषों तथा सामग्री के परिरक्षण तथा रखरखाव के लिए योजना
17. रिपोर्ट तैयार करने की योजना
18. उत्खनित सामग्रियों तथा फोटो/आरेख प्रलेखन के उचित वैज्ञानिक भंडारण के लिए प्रावधान
19. प्रकाशन के लिए कार्यक्रम
20. आवेदक/संस्था द्वारा किए अन्वेषण (जों) पर रिपोर्ट (टैं) प्रस्तुत करने का चरण वर्ष

वर्ष स्थल का नाम रिपोर्ट के प्रकाशन का चरण

21. यथाअनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार पिछले सत्र के दौरान आवेदक/संस्था द्वारा किए गए कार्यों की संक्षिप्त रिपोर्ट
22. कोई अन्य सूचना
23. मैं घोषित करता हूँ कि उपरोक्त सूचना सही है। मैं प्राचीन संस्मारक तथा पुरातत्विय स्थल और अवशेष अधिनियम, 1958 तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों का पालन करने का भी वचन देता हूँ।

स्थान :

दिनांक :

आवेदक के हस्ताक्षर
(यदि आवेदन किसी संस्था की ओर से है तो हस्ताक्षर संस्था के प्रमुख के होने चाहिए जिसमें विश्वविद्यालय का रजिस्ट्रार भी शामिल है)

संस्था की मोहर

राज्य सरकार की सिफारिश

स्थायी समिति की सिफारिश

महानिदेशक
भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण